राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2016 ग्राम पंचायत बोरवा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार वर्मा पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– फोलोअप कैम्प भीम

निर्णय दिनांक – 18-7-2016

प्रकरण सं. – **85/2014** रे0वा0

1. अल्लानूर पिता श्री पन्ना आयु 70 वर्ष जाति मेहरात निवास बोरवा तहसील भीम
2. जफरू पिता श्री पन्ना आयु 70 वर्ष जाति मेहरात निवास बोरवा तहसील भीम
3. नेना पिता श्री पन्ना आयु 70 वर्ष जाति मेहरात निवास बोरवा तहसील भीम
4. लाडू पिता श्री पन्ना आयु 70 वर्ष जाति मेहरात निवास बोरवा तहसील भीम
5. शायरी पत्नि श्री हजारी आयु 60 वर्ष जाति मेहरात निवास बोरवा तहसील भीम
6. रमजान पिता श्री हजारी आयु 60 वर्ष जाति मेहरात निवास बोरवा तहसील भीम।

..............वादीगण

बनाम

1. सोहनलाल पिता श्री मूलाराम आयु 75 वर्ष जाति नाई निवासी बोरवा तहसील
2. रामेश्वर पिता श्री मूलाराम आयु 60 वर्ष जाति नाई निवासी बोरवा तहसील भीम
3. सुलेमान पिता श्री हजारी आयु 30 वर्ष जाति मेहरात निवास बोरवा तहसील भीम
4. साहबूद्दी पिता श्री हजारी आयु 25 वर्ष जाति मेहरात निवास बोरवा तहसील
5. राजस्थान सरकार श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील भीम जिला राजसमन्द।

.................प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट</u>

वादीगण का वादपत्र सादर निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:–

1. यह कि मौजा बोरवा पटवार क्षैत्र बोरवा तहसील भीम में निम्न वर्णित आराजियात आई हुई है अक्त भूमि के आराजी नम्बर 1812 कुल रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है जिसके वर्तमान में दो टुकडे किये जाकर जिसके आराजी नम्बर 1812 मीन 1 बीघा 3 विस्वा व 3036/1812 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा है।
2. यह कि उक्त वर्णित आराजी के मालिक सन् 1977 में श्री बालू पिता कालू नाई निवासी बोरवा थे उन्होने अपनी पारिवारिक आवश्यकता हेतु रूपयों की उावश्यकता होने से उन्होने उक्त आराजी व उसके साथ अन्य आराजियात को मिलाने हेतु दिनांक 19.12.1977 को जरिये पंजीकृत विक्रय से उक्त भूमि श्री अल्लानूर हजारी जफरू, नैना व लाडू पिता श्री पन जाति मेहरात को बेचान राशि 7,000/– अक्षरे सात हजार रूपये नकद प्राप्त करते हुए बेचान कर दी थी व विक्रय विलेख पंजीकृत भी करवा दिया था तभी से उक्त भूमि पर खरीददार का कब्जा चला आ रहा है।
3. यह कि उक्त भूमि व इसके साथ खरीदी हुई आराजी भूमियों के सम्बन्ध में खरीददारान् वादीगण के पूर्वजों ने विक्रय विलेख इनद्राज हेतु पटवारी हल्का को दिया था व उनके द्वारा नामान्तरकरण सं0 200 भी भरा गया ाि तथा उसकी जांच रिपोर्ट गिरदावर द्वारा की जाकर उसके उक्त प्रतिवादी सं0 54 श्रीमान् तहसीलदार साहब भीम को दिनांक 16.03. 1978 को स्वीकार कर दिया गया था।
4. यह कि तत्पश्चात जो जमाबंदी सम्वत 2032 से 2035 की जमाबन्दी उक्त विवाद ग्रस्त आराजी नम्बर 1812 का इन्द्राज शुरू से सेवन से रह गया जिससे उक्त आराजी बेचानकर्ता बालू के नाम पर ही रह गई थी।
5. यह कि तत्पश्चात बालू की मृत्यु पर उनके परिवार के साहनलाल व रामेश्वर पिता मूला नाई के नाम दर्ज हो गई क्योंकि बालू पिता कालू के कोई पुत्र नही था।
6. यह कि उक्त विवादग्रस्त आराजी तत्कालन स्वामी पगतिवादीगण के पूर्वज बालू पिता श्री कालू द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से बेचान कर दी थी तथा उसका कब्जा भी तत्कालन खरीददारान को सुपुर्द कर दिया था। तथा तब से खरीददारान का तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान का कब्जा चला आ रहा है प्रतिवादीगण का उक्त आराजियात जर किसी प्रकार से कोई हक व अधिकार नही बनता है।
7. यह कि प्रतिवादीगण द्वारा गलत तरीके से अन्य आराजियात से मिलते हुए उक्त आराजी का भी बटवारा करवा दिया जबकि उक्त आराजियात पर प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार का कोई स्वामित्व व आधिपत्य नही था मात्र दोनों प्रतिवादीगण ने मिलीभगत तरीके से उक्त आराजियात को मिलाते हुए उक्त आराजियात का भी बंटवारा कर दिया जिससे रामेश्वर पिता मूला के 1812 मीन रकबा 1 बीघा 3 विस्वा बना दिया तथा उक्त खाते को दो भागों में विभक्त बता दिया जबकि विधि सम्वत तरीके से श्री कालू जी नाई द्वारा बेचान करने के पश्चात उनके वारिसान का कोई हक व अधिकार नही रहता नही प्रतिवादीगण या उनके वारिसान इस प्रकार से बेची हुई जमीन को वापिस हडप ही कर सकते है।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भीम जिला - राजसमन्द

जमाबंदी में इन्द्राज करने से रह गया है तथा पुनः जमाबंदी में इन्द्राज करावे तथा उक्त आराजियात का वादीगण के उक्त भूमि दर्ज करावे इसलिये ये वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

9. यह कि वाद कारण अर्सा करीब 1 माह पूर्व पैदा हुआ कि वादीगण को यह पता चला कि उनके द्वारा खरीदी हुई भूमि उनके नाम पर दर्ज नही हुई है तथा प्रतिवादीगण कहने लगे कि यह जमीन हमारे नाम पर है हम इस जमीन पर कब्जा करके रहेंगे।
10. यह कि प्रतिवादीगण अब ताकत के बल पर उक्त भूमि जो गलत तरीके से उनके नाम पर आई हुई है जिसे छिनना चाह रहे व निरन्तर धमकियां दे रहे है कि कब्जा करके रहेंगे जबकि उसका कानून रूपर से स्वामित्व एवं आधिपत्य नही है क्योंकि प्रतिवादीगणके पूर्वज श्री बालू के द्वारा पूर्व में उक्त भूमि बेचान कर दी गई थी ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के द्वारा रोका जाना न्यायहित आवश्यके है कि वादीगण की उक्त विवादग्रस्त आराजियात पर कब्जा स्वयं या अपने नौकर, एजेन्ट, रिश्तेदार से नही करे या करावे व वादीगण के शांतिपूर्वक आधिपत्य में किसी प्रकार का मदाखलत मजाहमद नही करे।
11. यह कि वादीगण सं0 1 से 4 के भाई हजारी की मृत्यु हो चुकी है व उनके वारिस व उत्तराधिकारी वादी सं. 5 व 6 प्रतिवादी सं. 3 से 4 है प्रतिवादी सं03 व 4 बाहर होने से उन्हे प्रतिवादी बनाया गया है तथा प्रतिवादी सं0 5 भूमि स्वामी होने से पक्षकार बनाया गया है।

अतः वादीगण के हक एवं प्रतिवादी सं0 1, 2 के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री प्रदान कराई जावे कि:–

(क) कि मौजा बोरवा पटवार क्षैत्र बोरवा तहसील भीम हाल आराजी नम्बर 3036/1812 मीन रकबा 1 बीघा 3 विस्वा व आराजी नम्बर 1812 मीन रकबा 1 बीघा 3 विस्वा कुलिया रकबा 2 बीघा 6 विस्वा भूमि का वादीगण व प्रतिवादी सं0 3 व 4 को खातेदार व काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 को नाम हटाया जाकर वादीगण के नाम अंकित किये जावें।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प बोरवा में पेश हुई अतः वादी का वाद पंजीयन दस्तावेज के आधार पर डिक्री किया जाता है कि मौजा बोरवा पटवार क्षैत्र बोरवा तहसील भीम हाल आराजी नम्बर 3036/1812 मीन रकबा 1 बीघा 3 विस्वा व आराजी नम्बर 1812 मीन रकबा 1 बीघा 3 विस्वा कुलिया रकबा 2 बीघा 6 विस्वा भूमि का वादीगण व प्रतिवादी सं0 3 व 4 को खातेदार व काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 को नाम हटाया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 के नाम दर्ज किये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय की पालना में तहसीलदार भीम को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(पीठासीन अधिकारी)

सहायक कलेक्टर, भीम
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

–अन्तिम डिक्री–

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2016 ग्राम पंचायत बोरवा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार वर्मा पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– फोलोअप कैम्प भीम

प्रकरण सं. – **85/2014** रे0वा0 निर्णय दिनांक – 18-7-016

1. अल्लानूर पिता श्री पन्ना आयु 70 वर्ष जाति मेहरात निवास बोरवा तहसील भीम
2. जफरू पिता श्री पन्ना आयु 70 वर्ष जाति मेहरात निवास बोरवा तहसील भीम
3. नेना पिता श्री पन्ना आयु 70 वर्ष जाति मेहरात निवास बोरवा तहसील भीम
4. लाडू पिता श्री पन्ना आयु 70 वर्ष जाति मेहरात निवास बोरवा तहसील भीम
5. शायरी पत्नि श्री हजारी आयु 60 वर्ष जाति मेहरात निवास बोरवा तहसील भीम
6. रमजान पिता श्री हजारी आयु 60 वर्ष जाति मेहरात निवास बोरवा तहसील भीम।

..............वादीगण

बनाम

1. सोहनलाल पिता श्री मूलाराम आयु 75 वर्ष जाति नाई निवासी बोरवा तहसील
2. रामेश्वर पिता श्री मूलाराम आयु 60 वर्ष जाति नाई निवासी बोरवा तहसील भीम
3. सुलेमान पिता श्री हजारी आयु 30 वर्ष जाति मेहरात निवास बोरवा तहसील भीम
4. साहबूद्दी पिता श्री हजारी आयु 25 वर्ष जाति मेहरात निवास बोरवा तहसील
5. राजस्थान सरकार श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील भीम जिला राजसमन्द।

.................प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट
रे.वा. मुकदमा नं 85/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है उक्त वाद पत्र की हुई अतः वादी का वाद पंजीयन दस्तावेज के आधार पर डिक्री किया जाता है कि मौजा बोरवा पटवार क्षैत्र बोरवा तहसील भीम हाल आराजी नम्बर 3036/1812 मीन रकबा 1 बीघा 3 विस्वा व आराजी नम्बर 1812 मीन रकबा 1 बीधा 3 विस्वा कुलिया रकबा 2 बीघा 6 विस्वा भूमि का वादीगण व प्रतिवादी सं0 3 व 4 को खातेदार व काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 को नाम हटाया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज किये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
भीम जिला राजसमंद

दर्दई	रूपया	पै.	मुद्दायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा	2 1 2	00 00 00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील) पर		
महनताना वकील) पर			खर्चा गवाहान	Nil	
खर्चा गवाहान	1	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् ईजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान	6	00	मीजान	शून्य	